13/2/25 पत्रावली पेश/अवलोकित प्रकरण उक्त कार्यों के
कार्यवाही पूर्ण की स्थगित किया जाता है निरस्त
निर्णय प्रकरण के लिखा जाकर पत्रावली शामिल
किया जावे पत्रावली प्राप्त सूचनार्थ नकल
प्रेषित कर पत्रावली जिला [illegible] [illegible]
के शामिल करें

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

पीठासीन अधिकारी :– सृष्टि जैन, (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र संख्या	दायर दिनांक	आदेश दिनांक
276/2025	19.11.2025	13.02.2026

बउनवान

1. बदलू पुत्र किशोरी जाति जाट निवासी टोडरपुर तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

:– प्रार्थी

बनाम

1. राजेश कुमार पुत्र शीशराम जाति जाट निवासी टोडरपुर तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
2. ओमवती पत्नी मनफूल जाति जाट निवासी टोडरपुर तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
3. भुतेरी देवी पत्नी देशराम जाति जाट निवासी टोडरपुर तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
4. शकुन्तला पत्नी हीरालाल जाति जाट निवासी टोडरपुर तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
5. मुकेश दत्तक पुत्र रामफल जाति जाट निवासी टोडरपुर तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
6. देशराम पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी टोडरपुर तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
7. मंजीत डबास पुत्र हीरालाल जाति जाट निवासी टोडरपुर तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
8. मनफूल पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी टोडरपुर तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
11. अनिता पत्नी रामनिवास जाति जाट निवासी टोडरपुर तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
12. उर्मिला देवी पत्नी सरजीत कुमार जाति जाट निवासी टोडरपुर तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
13. लाली देवी पत्नी शेरसिंह जाति जाट निवासी टोडरपुर तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
14. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
15. श्रीमान उप पंजियक महोदय, मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0।

–: अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

श्री देवेश कुमार –: प्रार्थी अधिवक्ता
श्री सरजीत डबास –: अप्रार्थी अधिवक्ता

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि

1. यह है कि उपरोक्त अनुवान का वाद अदालत श्रीमान के समक्ष विस्तृत वाकेयात के साथ पेश किया जा रहा है। जिसमें मिन प्रार्थी को कामयाबी की पूरी पूरी आशा है।
2. यह है कि उपरोक्त अनुवान के वाद में मिन प्रार्थी ने दस्तावेजात व शपथ पत्र पेश किया है। जिससे प्रार्थीगण का केस प्रायमा फैसाई पूर्णत आयद वो साबित है।
3. यह है कि उक्त विवादित आराजी आराजी हाल खाता स0 17 में वर्णीत ख0 न0 303 रकबा 0.31 है0, व खाता स0 134 में वर्णीत ख0न0 276 रकबा 0.19 है0, व खाता स0 135 में वर्णीत हाल ख0 न0 159 रकबा 0.93 है0, 506 रकबा 0.03 है0, व खाता स0 136 में वर्णीत हाल ख0 न0 319 रकबा 0.30 है0, व खाता स0 137 में वर्णीत हाल ख0 नम्बरान 103 रकबा 0.60 है0, 443 रकबा 0.28 है0, 444 रकबा 0.52 है0, व खाता स0 138 में वर्णीत हाल ख0 नम्बरान 289 रकबा 0.05 है0, 322 रकबा 0.20 है0, 405 रकबा 0.12 है0, व खाता स0 209 में वर्णीत हाल ख0न0 507 रकबा 1.41 है0, व खाता स0 210 में वर्णीत हाल ख0 न0 436 रकबा 0.96 है0, के राजस्व रिर्कोड में मिन प्रार्थी व अप्रार्थी स0 1 ल0 11 का हिस्सा दर्ज राजस्व रिर्कोड है तथा उक्त विवादित आराजी के राजस्व रिर्कोड में मिन प्रार्थी व अप्रार्थी स0 1 ल0 11 के नाम का अंकन सामलात में दर्ज हो रहा है, लेकिन मौका पर मिन प्रार्थी व अप्रार्थी स0 1 ल0 11 ने आराजी का अर्सा दराज से बहामी बंटवारा कर रखा है तथा बहामी बंटवारा अनुसार ही काबिज कत है तथा आराजी का आज दिन तक विधिक तकासमा नही है।
4. यह है कि विवादित आराजी राजस्व रिर्कोड में मिन प्रार्थी व अप्रार्थी स0 1 ल0 11 के नाम सामलात में दर्ज हो रही है, लेकिन मौका पर मिन प्रार्थी व अप्रार्थी स0 1 ल0 13 ने अर्सा दराज से बहामी बंटवारा कर रखा है, जिस बंटवारा में मिन वादी के हिस्से ख0न0 159 रकबा 0.93 है0, व ख0न0 506 रकबा 0.03 है0, आया हुआ है तथा अन्य ख0 नम्बरान अन्य प्रतिवादीगण के हिस्से आये हुये है तथा मिन प्रार्थी व अप्रार्थी स0 1 ल0 11 बहामी बंटवारा अनुसार काबिज काश्त है।
5. यह है कि उक्त विवादित आराजी के राजस्व रिर्कोड में मिन प्रार्थी व अप्रार्थी स0 1 ल0 11 के नाम का अंकन सामलात में दर्ज हो रहा है, लेकिन आराजी का अर्सा दराज से बहामी बंटवारा हो रहा है तथा सभी काश्तकार बहामी बंटवारा अनुसार काबिज काश्त है, लेकिन अप्रार्थी स० 1 ल० 11 सामलाती अंकन का बेजा फायदा उठाकर मिन प्रार्थी के हिस्से बहामी बंटवारा में आयी आराजी पर जबरन कब्जा कर, मिन प्रार्थी को उसके हिस्से की आराजी से बेदखल करने पर आमादा हो रहे है। इसलिए मिन प्रार्थी का अब अप्रार्थीगण के साथ सामलाती राजस्व रिर्कोड में रहना सम्भव नही रहा है। इसलिए मिन प्रार्थी अपने हिस्से दर्ज राजस्व रिर्कोड का तकासमा मौके पर काबिज अनुसार कूर्रेजात रिर्पोट मंगवाकर, बाई मिटस एण्ड बाउण्डस कराने व अपना अलग से खाता लगान कायम कराने का अधिकारी है। इसलिए दावा तकासमा पेश किया जाना लाजिमी आया है।
6. यह है कि दिनांक 15/11/2025 को अप्रार्थीगण स० 1 ल0 11 एकराय होकर होकर मिन प्रार्थी के हिस्से की आराजी पर जबरन कब्जा करने का

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

प्रयास किया, जिस पर मिन प्रार्थी ने मना किया तो अप्रार्थीगण स0 1 ल0 11 आमादा लडाई झगडा हो गये तथा ऐलानिया तौर पर धमकी दी है कि हम तेरे हिस्से की आराजी पर जबरन कब्जा कर, तुझे आराजी से बेदखल कर देगे तथा अपने हिस्से की आराजी को बिला तकासमा ही बेचान कर देगे। बस यही वाद हेतु बिनायदावी व बिनायमुखारमत पैदा होकर दावा अन्दर अवधि पेश है।

7. यह कि विवादित आराजी मिन प्रार्थी व अप्रार्थी स0 1 ल० 11 के नाम राजस्व रिकॉड में सामलात में दर्ज हो रही है तथा मौका पर मिन प्रार्थी व अप्रार्थी स0 1 ल0 11 बहामी बंटवारा अनुसार काबिज काश्त है, लेकिन अप्रार्थी स0 1 ल0 11 सामलाती इन्द्राज का बेजा फायदा उठाकर, मिन प्रार्थी के हिस्से की आराजी पर कब्जा कर, अपने हिस्से की आराजी को बिना तकासमा कराये बेचान करने पर आमादा है, तथा आराजी मिन प्रार्थी की खातेदारी की होने के कारण सुविधा का सन्तुलन व बैलेंस ऑफ कन्वीनेंस मिन प्रार्थी के पक्ष में आयद वो साबित है तथा यदि वाकई अप्रार्थी स0 1 ल0 11 सामलाती अंकन का बेजा फायदा उठाकर विवादित आराजी में मिन प्रार्थी के हिस्से की आराजी पर जबरन कब्जा कर, मिन प्रार्थी को आराजी से बेदखल कर दिया तथा मिन प्रार्थी को काश्त नही करने दिया तथा अपने हिस्से की आराजी को बिना तकासमा कराये ही बेचान कर दिया तो मिन प्रार्थी को नापूर्ती होने वाली क्षति होगी। जिसकी पूर्ती किसी भी प्रकार से रूपयै पैसों में नहीं आंकी जा सकेगी तथा दावा करना ही बैमायना हो जावेगा। चूँकि मिन प्रार्थी के अधिकार कानून द्वारा रक्षित है। इसलिए मिन प्रार्थी अपने अधिकारों की रक्षार्थ अप्रार्थीगण को हु० ई० दवामी से पाबन्द कराने का अधिकारी है। इसलिए दावा हु० ई० दवामी पेश करना लाजिमी आया है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है जो निम्न प्रकार से है कि :–

अतः प्रार्थना पत्र हु0 ई0 दवामी पेशकर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को ताः फेसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि अप्रार्थीगण सं० 1 ल0 11 आराजी हाल खाता स0 17 में वर्णीत ख0न0 303 रकबा 0.31 है0, व खाता स0 134 में वर्णीत ख0न0 276 रकबा 0.19 है0, व खाता स0 135 में वर्णीत हाल ख0 न0 159 रकबा 0.93 है0, 506 रकबा 0.03 है0, व खाता स0 136 में वर्णीत हाल ख0न0 319 रकबा 0.30 है0, व खाता स0 137 में वर्णीत हाल ख0 नम्बरान 103 रकबा 0.60 है0, 443 रकबा 0.28 है0, 444 रकबा 0.52 है0, व खाता स0 138 में वर्णीत हाल ख0 नम्बरान 289 रकबा 0.05 है0, 322 रकबा 0.20 है0, 405 रकबा 0.12 है0, व खाता स0 209 में वर्णीत हाल ख0न0 507 रकबा 1.41 है0, व खाता स0 210 में वर्णीत हाल ख0न0 436 रकबा 0.96 है0, वाके ग्राम टोडरपुर तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा को बिना तकासमा कही रहन, बैय, हिबा इत्यादिं से मुन्तकिल ना करे, ना ही मिन प्राथी के हिस्से की आराजी पर जबरन कब्जा करे, ना ही मिन प्राथी को आराजी से बेदखल करे, ना ही मिन प्रार्थी के काश्त कार्य में मजाहमत पैदा करे, व किसी भी प्रकार से प्रार्थी के काश्त में मजाहमत पैदा नही करे, रिर्कोड व मौका की यथास्थिति बनाये रखे। हल्फनामा संलग्न है।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

जवाब प्रार्थना पत्र ओदश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा० दी० व धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मिन अप्रार्थी सं० 1 व 5 की ओर से निम्न प्रकार पेश है।

1. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं0 1 बाबत प्रार्थना पत्र है गलत है प्रार्थी को कामयाबी की आशा नहीं रखनी चाहिए।
2. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं0 2 गलत है स्वीकार नहीं है प्रार्थी ने दस्तावेज गलत पेश किये है तथा शपथ पत्र भी गलत है प्रार्थी का केश प्रायमा फैसाई साबित नहीं होता है।
3. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं0 3 आराजी का परिचयात्मक है जो आराजी हाल खाता सं0 17 में वर्णित ख0 नं0 303 रकबा 0.31 हैक0, खाता सं0 134 में वर्णित ख० नं0 276 रकबा 0.19 है0, खाता सं0 135 में वर्णित ख0 नं0 159 रकबा 0.93 है0, 506 रकबा 0.03 है0, खाता सं0 136 में वर्णित ख0 नं0 319 रकबा 0.30 है0, खाता सं0 137 में वर्णित ख0 नं0 103 रकबा 0.60 है0, 443 रकबा 0.28 है0, 444 रकबा 0.52 है0, खाता सं0 138 में वर्णित ख0 नं0 289 रकबा 0.05 है0, 322 रकबा 0.20 है0, 405 रकबा 0.12 है0, खाता सं0 209 में वर्णित ख0 नं0 507 रकबा 1.41 है0, खाता सं0 210 में वर्णित ख0 नं0 436 रकबा 0.96 है0, वाके ग्राम टोडरपुर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान में स्थित है। शेष कथन गलत है कोई विवाद उक्त आराजी की बाबत नहीं है। उक्त प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी का बंटवारा दिनांक 18/11/2025 को प्रार्थी बदलू पुत्र किशोरी जाति जाट निवासी टोडरपुर तहसील मुण्डावर व अप्रार्थी सं0 1 राजेश कुमार पुत्र श्री शीशराम जाति जाट निवासी टोडरपुर तहसील मुण्डावर एवं अप्रार्थी सं0 5 मुकेश दत्तक पुत्र श्री रामफल जाति जाट निवासी टोडरपुर तहसील मुण्डावर के मध्य इस प्रकार हुआ था कि जब खेतो की खतोनी अलग अलग की जायेगी तो ख0 नं0 159 में से 12 बिस्वा राजेश का हिस्सा रहेगा और शेष आराजी पर बदलूराम काबिज रहेगा। ख० नं0 506, 507 में तीन बीघा मुकेश कुमार व राजेश कुमार 2.5 बीघा यानि ढाई बीघा पर काबिज रहेगा। तथा जिस आराजी पर कोर्ट में केस विचाराधीन है उन पर जो व्यक्ति जहां पर जो काबिज है वहीं पर काबिज रहेगा खेत खतोनी अलग की जावेगी जब भाईचारा बंटवारा अलग किया जावेगा। एवं ख0 नं0 103 में 1 बीघा 5 बिस्वा मुकेश का हिस्सा व 1 बीधा दो बिस्वा बदलूराम का हिस्सा काबिज रहेगा भविष्य में इसी प्रकार खतोनी होगी। ख0 नं0 436 में 2 बीघा 13 बिस्वा हिस्सा राजेश व 1 बीघा 3 बिस्वा हिस्सा मुकेश का रहेगा। मुकेश द्वारा अपने हिस्से में से 1 बीघा आराजी बेचान कर रखी है वर्तमान में इसी प्रकार काबिज है भविष्य में खतोनी इसी प्रकार रहेगी। ख0 नं0 276 का सम्पूर्ण हिस्सा बदलूराम के पास है उसी के पास रहेगा। ख0 नं0 319 का सम्पूर्ण हिस्सा पर मुकेश कुमार काबिज है भविष्य में इसी प्रकार से खतोनी बांटी जावेगी। ख० नं० 159 में से रोड साईड 101 फुट में से 43 फुट पर बदलूराम व अजय पुत्र सुभाष के रास्ते की तरफ से 58 फुट राजेश का हक रहेगा। कर्मवीर की टीन के पास खातीयों के मकान के पास चार दिवारी करेगा, सत्यवीर के मकान के पीछे किकर को छत पर आने पर

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

किकर की छंगाई समय समय पर मुकेश करता रहेगा। उक्त बंटवारा तीनो सहखातेदारो की आपसी सहमति से किया गया था जिसकी लिखतम एक 100 रूपयें के स्टाम्प पेपर पर समझौता पत्र लिखकर तहरीर व तकमील की गयी थी जिस पर तीनो सहखातेदारो व गवाहों के हस्ताक्षर किये गये थे तथा नोटेरी पब्लिक से उक्त समझौता पत्र दिनांक 19/11/2025 को तस्दीक कराया गया था जिस समझौता पत्र के अनुसार तीनो सहखातेदार अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है।

4. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं0 4 इतना स्वीकार है कि उक्त आराजी राजस्व रिकोर्ड में प्रार्थी व अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है बाकी जिम्मन गलत है स्वीकार नहीं है। उक्त आराजी का बंहामी बंटवारा किया हुआ है जिस पर प्रार्थी, अप्रार्थी सं0 1 व 5 अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है मौके पर कब्जे बाबत कोई विवाद नहीं है प्रार्थी ने उक्त आराजी को जानबूझकर विवादित बनाया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है खारिज फरमाया जावे।

5. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं0 5 इतना स्वीकार है कि उक्त आराजी राजस्व रिकोर्ड में प्रार्थी व अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है बाकी जिम्मन गलत है स्वीकार नहीं है। उक्त आराजी का बंहामी बंटवारा किया हुआ है जिस पर प्रार्थी, अप्रार्थी सं0 1 व 5 अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है मौके पर कब्जे बाबत कोई विवाद नहीं है प्रार्थी ने उक्त आराजी को जानबूझकर विवादित बनाया है। प्रार्थी उक्त आराजी का पुनः बंटवारा कराने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी मिन अप्रार्थीगण से दिली रंजिश रखता है जो मिन अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जो प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है काबिल खारिज है खारिज फरमाया जावे।

6. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं0 6 गलत है स्वीकार नहीं है। प्रार्थी ने दिनांक 15/11/2025 की घटना गलत दर्ज की है मिन अप्रार्थी सं० 1 व 5 का प्रार्थी और दीगर हिस्सेदारान के हिस्से से कोई लेना देना नहीं है तथा मिन अप्रार्थी सं0 1 व 5 शांतिप्रिय व्यक्ति है कोई विवाद बंटवारा की बाबत नहीं है प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र महज मिन अप्रार्थी सं0 1 व 5 को तंग व परेशान करने की नियत से पेश किया है जो काबिल खारिज है खारिज फरमाया जावे।

7. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं0 7 इतना स्वीकार है कि उक्त आराजी राजस्व रिकोर्ड में प्रार्थी व अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है बाकी जिम्मन गलत है स्वीकार नहीं है। उक्त आराजी का बंहामी बंटवारा किया हुआ है जिस पर प्रार्थी, असं0 1 व 5 अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है मौके पर कब्जे बाबत कोई विवाद नहीं है प्रार्थी ने उक्त आराजी को जानबूझकर विवादित बनाया है। प्रार्थी उक्त आराजी का पुनः बंटवारा कराने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र में कोई सुविधा का सन्तुलन व नापूर्ती होने वाली क्षति कारित नहीं होती है प्रार्थी मिन अप्रार्थी सं0 1 व 5 को हु0 ई0 दवामी के किसी भी अनुतोष से पाबंद कराने का अधिकारी नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

है। प्रार्थी मिन अप्रार्थी स10 1 व 5 से दिली रंजिश रखता है जो मिन अप्रार्थी सं0 1 व 5 को तंग परेशान करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जो प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है काबिल खारिज है खारिज फरमाया जावे।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। श्रीमानजी की महति कृपा होगी।

प्रार्थी की ओर से विस्तृत बहस

1. वाद का संक्षिप्त तथ्यात्मक आधार

विवादित आराजियाँ खाता संख्या 17, 134, 135, 136, 137, 138, 209 एवं 210 के विभिन्न खसरा नंबरों में स्थित हैं, जो राजस्व अभिलेख में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं. 1 से 11 के नाम सामलात (संयुक्त खातेदारी) में दर्ज हैं।

यद्यपि रिकॉर्ड संयुक्त है, किन्तु मौके पर वर्षों से बहामी (पारिवारिक) बंटवारा हो चुका है और प्रार्थी अपने हिस्से – विशेषतः खसरा नं. 159 (0.93 हे.), खसरा नं. 506 (0.03 हे.), पर शांतिपूर्वक काबिज–काश्त है।

दिनांक 15.11.2025 को अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को उसके कब्जे से बेदखल करने तथा बिना विधिक तकसीम (partition) भूमि बेचने का प्रयास किया, जिससे यह वाद एवं वर्तमान अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ।

2. अस्थायी निषेधाज्ञा देने के विधिक सिद्धांत

अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करने के लिए तीन तत्व आवश्यक हैं:

(i) Prima Facie Case (प्रथम दृष्टया अधिकार)

राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी सह–खातेदार है। यह स्वयं अप्रार्थी ने स्वीकार किया है। अप्रार्थी के जवाब में स्वयं लिखा है कि आपसी समझौते से हिस्से तय हैं और सब अपने हिस्से पर काबिज हैं।

➞ इसका अर्थः प्रार्थी का कब्जा अप्रार्थी ने स्वयं स्वीकार किया।

कानून का सिद्धांत–

संयुक्त खातेदार को उसके कब्जे वाले भाग से बलपूर्वक बेदखल नहीं किया जा सकता जब तक विधिक तकसीम न हो। अतः प्रार्थी का प्रथम दृष्टया अधिकार पूर्ण रूप से सिद्ध है।

(ii) Balance of Convenience (सुविधा का संतुलन)

प्रार्थी कृषक है और भूमि ही उसका जीविकोपार्जन साधन है। यदि निषेधाज्ञा नहीं दी गई तो अप्रार्थीः कब्जा कर लेंगे, भूमि विक्रय कर देंगे, तृतीय पक्ष अधिकार बना देंगे। जबकि अप्रार्थी को कोई नुकसान नहीं होगा यदि उन्हें केवल यथास्थिति बनाये रखने को कहा जाए।

➞ अतः सुविधा का संतुलन पूर्णतः प्रार्थी के पक्ष में है।

(iii) Irreparable Loss (अपूरणीय क्षति)

भूमि अद्वितीय संपत्ति है। भूमि से बेदखली या तृतीय पक्ष को बिक्री होने पर खेती समाप्त हो जाएगी, खातेदारी अधिकार समाप्त हो जाएंगे। धन से क्षतिपूर्ति संभव नहीं, इसलिए क्षति अपूरणीय (Irreparable Injury) है।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

3. अप्रार्थी के जवाब का विधिक खण्डन
नोटरी समझौता (19.11.2025) केवल निजी कागज है, यह राजस्व रिकॉर्ड को परिवर्तित नहीं कर सकता। न ही यह विधिक तकसीम है

→ राजस्थान काश्तकारी कानून के अनुसार
केवल राजस्व न्यायालय द्वारा की गई तकसीम ही वैध विभाजन है। अप्रार्थी स्वयं लिखता है "जो जहां काबिज है वहीं रहेगा"

→ यही तो प्रार्थी मांग रहा है = यथास्थिति
यदि कब्जे पर विवाद नहीं है, तो निषेधाज्ञा से उन्हें आपत्ति क्यों?

→ इससे स्पष्ट है कि भविष्य में कब्जा करने की मंशा है।

4. सह–खातेदार के अधिकार का सिद्धांत
कानून का स्थापित सिद्धांत – संयुक्त खातेदार दूसरे संयुक्त खातेदार को उसके कब्जे से बेदखल नहीं कर सकता और न ही बिना तकसीम विशिष्ट हिस्से का विक्रय कर सकता। इसलिए जब तक विधिक तकसीम नहीं होती– न बिक्री हो सकती, न कब्जा छीना जा सकता।

5. धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अनुप्रयोग
धारा 212 के अंतर्गत राजस्व न्यायालय को अधिकार है कि खातेदारी अधिकारों की रक्षा करे, कब्जे की सुरक्षा करे, अवैध हस्तांतरण रोके। अतः यह न्यायालय सक्षम है कि निषेधाज्ञा जारी करे।

7. प्रार्थना
अतः माननीय न्यायालय से विनम्र निवेदन है कि अप्रार्थीगण को आदेशित किया जाये कि वे प्रार्थी के कब्जे में हस्तक्षेप न करें, बेदखल न करें, भूमि का विक्रय/रहन/हिबा न करें, विवादित भूमि पर रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति (Status&quo) बनाये रखने का आदेश पारित किया जाए। आदेश अंतिम निर्णय तक प्रभावी रखा जाए। यह न्यायहित एवं न्यायोचित होगा।

अप्रार्थी की ओर से विस्तृत बहस (अप्रार्थी सं. 1 व 5 की ओर से)
1. प्रारम्भिक आपत्ति (Maintainability)
प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पूर्णतः मिथ्या, तथ्यहीन तथा कानूनन अस्थायी निषेधाज्ञा देने योग्य नहीं है। प्रार्थी ने न्यायालय के समक्ष वास्तविक तथ्यों को छिपाकर न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया है, अतः उसका आवेदन प्रथम दृष्टया ही अस्वीकृत किये जाने योग्य है।

2. वास्तविक तथ्य स्थिति
विवादित आराजियाँ संयुक्त खातेदारी की अवश्य हैं, परन्तु दिनांक 18.11.2025 को प्रार्थी बदलू, अप्रार्थी राजेश कुमार एवं मुकेश कुमार के मध्य आपसी सहमति से लिखित पारिवारिक बंटवारा (Family Settlement) हो चुका है। उक्त समझौते को 100 रुपये के स्टाम्प पर लिखकर 19.11.2025 को नोटरी पब्लिक से तस्दीक कराया गया। तब से तीनों सह–खातेदार अपने–अपने हिस्से पर काबिज होकर उपयोग–उपभोग कर रहे हैं।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

अतः कब्जा विवादित नहीं है, कोई ताजा कारण–ए–कार्रवाई (Cause of Action) नहीं है। प्रार्थी ने केवल भविष्य की आशंका के आधार पर वाद दायर किया है।

3. प्रार्थी का कोई Prima Facie Case नहीं
अस्थायी निषेधाज्ञा का पहला सिद्धांत — प्रथम दृष्टया अधिकार।
यहाँ प्रार्थी ने स्वयं कहा — बहामी बंटवारा है, अप्रार्थी ने भी कहा – सभी अपने हिस्से पर काबिज हैं, जब कब्जा सुरक्षित है, तब निषेधाज्ञा की आवश्यकता ही नहीं।
न्याय सिद्धांत– जहाँ वास्तविक कब्जा विवादित नहीं हो, वहाँ केवल आशंका के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा नहीं दी जाती। प्रार्थी यह भी सिद्ध नहीं कर पाया– कोई बेदखली हुई, कोई बिक्री हुई, कोई हस्तक्षेप हुआ, दिनांक 15.11.2025 की कथित घटना पर कोई रिपोर्ट कोई गवाह कोई दस्तावेज नहीं है।
अतः Prima Facie Case पूर्णतः अनुपस्थित है।

4. Balance of Convenience अप्रार्थी के पक्ष में यदि निषेधाज्ञा दे दी जाती है तो– अप्रार्थी अपने वैध हिस्से का उपयोग नहीं कर पाएंगे, खेती कार्य बाधित होगा खातेदार अधिकार सीमित हो जाएंगे, जबकि वर्तमान में सभी शांतिपूर्वक काबिज हैं। इसलिए यथास्थिति पहले से कायम है, अदालत के आदेश की आवश्यकता नहीं।
अतः सुविधा का संतुलन अप्रार्थी के पक्ष में है।

5. Irreparable Loss का अभाव
प्रार्थी को कोई अपूरणीय क्षति नहीं – वह पहले से कब्जे में है (उसके अपने कथन से) कोई बेदखली नहीं हुई, कोई विक्रय नहीं हुआ, यदि भविष्य में कुछ होता है तो वह अलग दावा, क्षतिपूर्ति, राजस्व कार्यवाही कर सकता है।
इसलिए काल्पनिक आशंका अपूरणीय क्षति नहीं मानी जाती।

6. धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अनुप्रयोग नहीं
धारा 212 का उद्देश्य है– वास्तविक अधिकारों की रक्षा, यहाँ अधिकार विवादित नहीं, कब्जा सुरक्षित, सहखातेदार काबिज।
प्रार्थी वास्तव में पुनः बंटवारा (Re-partition) चाहता है, जो अस्थायी निषेधाज्ञा का विषय नहीं बल्कि मुख्य वाद का विषय है।

7. नोटरी समझौते का प्रभाव
प्रार्थी ने महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया गया। दिनांक 19.11.2025 का समझौता पत्र जिसमें सभी हिस्से निर्धारित, कब्जा निर्धारित, भविष्य की खतोनी भी निर्धारित प्रार्थी समझौते से मुकरकर पुनः विवाद खड़ा कर रहा है।
न्याय सिद्धांत– जो पक्ष स्वयं समझौते का भागीदार हो, वह उसी के विरुद्ध अंतरिम राहत का अधिकारी नहीं।

8. प्रार्थी का आचरण (Conduct)
अस्थायी निषेधाज्ञा Equitable Relief है। जिसे पाने हेतु आवश्यक है – स्वच्छ हाथ (Clean Hands)
यहाँ तथ्य छिपाये गये, झूठी घटना लिखी गई, सहखातेदारों को परेशान करने हेतु वाद अतः प्रार्थी राहत का पात्र नहीं।

9. सह–खातेदार का कानून

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

सहखातेदार–पूरी भूमि का संयुक्त स्वामी होता है। वह अपनी हिस्सेदारी बेच सकता है। इससे अन्य सहखातेदार का अधिकार समाप्त नहीं होता। इसलिए प्रार्थी बिक्री रोकने का भी अधिकारी नहीं।

10. निष्कर्ष

अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों तत्व अनुपस्थित –तत्व स्थिति

Prima Facie Case नहीं

Balance of Convenience अप्रार्थी के पक्ष में

Irreparable Loss नहीं

11. प्रार्थना

अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि

प्रार्थी का अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाए। प्रार्थी का आवेदन हर्जा–खर्चा सहित खारिज किया जाए। यह न्यायोचित होगा।

विस्तृत विवेचन

1. वाद का संक्षिप्त विवरण

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद में कथन किया गया कि विवादित आराजियाँ विभिन्न खातों व खसरा नंबरों में राजस्व अभिलेख में संयुक्त खातेदारी (सामलात) में दर्ज हैं तथा बहामी बंटवारे के अनुसार वह विशेष खसरा नंबरों पर काबिज है। दिनांक 15.11.2025 को अप्रार्थीगण द्वारा कब्जा करने व भूमि विक्रय करने की आशंका बताकर अस्थायी निषेधाज्ञा की मांग की गई।

अप्रार्थीगण ने जवाब प्रस्तुत कर कहा कि–

दिनांक 18.11.2025 को आपसी सहमति से पारिवारिक बंटवारा हो चुका है, दिनांक 19.11.2025 को नोटरी से तस्दीक समझौता पत्र हुआ, सभी सहखातेदार अपने–अपने हिस्से पर काबिज हैं, कोई वास्तविक विवाद या बेदखली की घटना नहीं हुई।

2. विचारणीय बिंदु

अदालत के समक्ष निम्न प्रश्न विचारणीय है–

क्या प्रार्थी अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व सिद्ध कर पाया है?

अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करने हेतु निम्न तीन तत्वों का होना आवश्यक है:

Prima facie case
Balance of convenience
Irreparable loss

3. Prima Facie Case पर विचार

रिकॉर्ड से निम्न तथ्य स्पष्ट हैं– भूमि संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। विवादित नहीं। प्रार्थी स्वयं स्वीकार करता है कि बहामी बंटवारा है। अप्रार्थी भी स्वीकार करते हैं कि सभी अपने–अपने हिस्से पर काबिज हैं। दिनांक 19.11.2025 का समझौता पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें कब्जे का निर्धारण है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 15.11.2025 की कथित घटना के समर्थन में कोई रिपोर्ट, कोई साक्षी, कोई दस्तावेज, प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः यह सिद्ध नहीं होता कि प्रार्थी का कब्जा छीना गया या छीने जाने की तत्काल वास्तविक स्थिति है।

न्याय सिद्धांत–

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

सिर्फ आशंका के आधार पर निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती। इस प्रकार न्यायालय के मत में प्रार्थी प्रथम दृष्टया अपना अधिकार संकट में होना सिद्ध नहीं कर पाया।

4. Balance of Convenience

अस्थायी निषेधाज्ञा का उद्देश्य वर्तमान स्थिति की रक्षा करना है, न कि अनावश्यक न्यायिक नियंत्रण स्थापित करना।

यहाँ– दोनों पक्ष अपने–अपने कब्जे में हैं। कोई वास्तविक हस्तक्षेप सिद्ध नहीं। यदि निषेधाज्ञा दे दी जाती है तो– सहखातेदारों के वैधानिक उपयोग–अधिकार बाधित होंग। खेती कार्य प्रभावित होगा। जबकि प्रार्थी वर्तमान में सुरक्षित कब्जे में है।

अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं है।

5. Irreparable Loss

प्रार्थी ने बेदखली या बिक्री की केवल आशंका व्यक्त की है। कोई वास्तविक– विक्रय, कब्जा परिवर्तन, निर्माण सिद्ध नहीं हुआ। कानूनन केवल संभावित या काल्पनिक क्षति अपूरणीय क्षति नहीं मानी जाती।

अतः यह तत्व भी सिद्ध नहीं हुआ।

6. धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का परीक्षण

धारा 212 का उद्देश्य खातेदारी अधिकारों की वास्तविक सुरक्षा है। वर्तमान प्रकरण में कब्जा सुरक्षित है, अधिकार विवादित नहीं, मुख्य विवाद वास्तव में तकसीम (partition) का है।

अतः यह विषय मुख्य वाद में विचारणीय है, न कि अंतरिम आदेश में।

7. न्यायालय का निष्कर्ष

अदालत निम्न निष्कर्ष पर पहुँचती है तत्व निर्षक

Prima facie case सिद्ध नहीं

Balance of convenience प्रार्थी के पक्ष में नहीं

Irreparable loss सिद्ध नहीं

अतः प्रार्थी अस्थायी निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी नहीं है।

आदेश

अतः उक्त विवेचन के अनुसार का प्रार्थना पत्र को अस्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को निरस्त (खारिज) किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 13.02.2026 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सृष्टि जैन)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल-तिजारा राज0

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)